लय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/355/2022 तारीख रजू 27.12.22

बनाम

पवन भगवान वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.12.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी/जबाव पेश होने तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 11, 135, 136,वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 12.01.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.01.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0	

वकील प्रार्थी उपस्थित

5/3/24 पाक्षिक आदेश दिनांक........................ की पालना में पत्रावली वास्ते ....पेश.... ।

दिनांक ....26/3/24.... को पेश हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी

कठूमर (अलवर)

26/3/24 वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये वकील व उनके प्रार्थी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र [illegible] वकील प्रार्थी के अदम पैरवी - अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली को मय [illegible] हेतु मूल पत्रावली के साथ रखी जावे।

[signature] 26/3/24

उपखण्ड अधिकारी

कठूमर (अलवर)